

र  
नाम  
की  
जाति

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 17/18

1- लाडु लाल s/o श्री मोंगी लाल गाली निवासी - चांदरारा, तहसील- मांडल [वर्ग] प्रार्थी

बनाम

1- मगना s/o श्री कैला गाली निवासी - सोजी का रोड़ा, तहसील- मांडल [वर्ग] विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956


:: आदेश :: दिनांक:- 20.2.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोजी का रोड़ा पटवार हल्का चांदरारा तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 46/2, 52, 53, 54, 58, 59 कुल किता 06 रकबा 03 बीघा 12 विस्था स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा विन्धु नहीं होने से आधे दिन सीमा रावधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाने।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.1.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे का शत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त पटवार हल्का उक्त तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर उक्त कुल किता उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चांदरारा को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मोके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालगा रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला भीलवाड़ा